संख्याः 713 /xxvii(7)27(20)/2013

प्रेषक,

राकेश शर्मा,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7

देहरादूनः दिनॉकः 10 अक्टूबर, 2013

विषयः– कोटद्वार दुगड्डा, श्रीनगर एवं ऋषिकेश में "सी" श्रेणी तथा मसूरी में "बी–2" श्रेणी के समान दर से अपवादस्वरूप मकान किराया भत्ता दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश के शासनादेश संख्या–जी–1–373/दस–99–205–99 दिनांक 11 जून, 1999, संख्या– जी–1–889/दस–99–205–99 दिनांक 06 दिसम्बर, 1999 के क्रम में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–132/वित्त अनु–3/2001 दिनांक 18 दिसम्बर, 2001 द्वारा प्रदेश के नगरों/नगरीय क्षेत्रों के मकान किराया भत्ते की श्रेणी/भत्ते में पुनरीक्षण किया गया, जिसमें श्रेणी के आधार पर नगर/क्षेत्र को वर्गीकृत किया गया है, जिसमें "सी" श्रेणी में अन्य क्षेत्रों के साथ–साथ पौड़ी गढ़वाल (शहरी क्षेत्रों) को वर्गीकृत किया गया है, जबकि कोटद्वार दुगड्डा, श्रीनगर (पौडी गढवाल) एवं ऋषिकेश (देहरादून) को अन्य के साथ–साथ अवर्गीकृत श्रेणी में रखा गया था। तदोपरान्त वेतन समिति, 2008 के द्वितीय प्रतिवेदन में मकान किराया भत्ता के पुनरीक्षण के संबंध में संस्तुति की गई है, जिसके क्रम में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–38/xxvii(7)म0कि0/2009 दिनांक 13 फरवरी, 2009 एवं संख्या–61/xxvii म0कि0/2009 दिनांक 16 फरवरी, 2009 द्वारा मकान किराया भत्ता की दरों में संशोधन किया गया है, जिसमें पौड़ी, देहरादून एवं नैनीताल के सभी क्षेत्रों को "बी–2" श्रेणी में रखा गया है, जबकि कोटद्वार दुगड्डा, श्रीनगर (पौडी गढवाल) एवं ऋषिकेश (देहरादून) को अन्य के साथ–साथ "अवर्गीकृत" श्रेणी में रखा गया है।

अतः इस संबंध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोटद्वार दुगड्डा, श्रीनगर एवं ऋषिकेश में "सी" श्रेणी तथा मसूरी में "बी–2" श्रेणी के समान दर से अपवादस्वरूप मकान किराया भत्ता दिनांक 01 अक्टूबर, 2013 से अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(राकेश शर्मा)
अपर मुख्य सचिव।